राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित

प्रश्न संख्या– : 293

दिनांक– : 10.08.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम–:श्री महेंद्र गोयल

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क) क्या यह सत्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की योजना चलाई जा रही है; | जी हाँ। |
| ख) यदि हां, तो इसकी क्या नियमावली है, पूर्ण जानकारी दें; | यदि किसी भी व्यक्ति, आय तथा निवास मानदंड के निरपेक्ष, का एन.सी.टी. दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना होती है और उसका मेडिको लीगल केस बनता है तो उस दुर्घटना पीडित व्यक्ति का निःशुल्क इलाज दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में करवाने का प्रावधान है। |
| ग) क्या यह सत्य है कि अस्पतालों द्वारा इस योजना को न मानने की शिकायतें निरंतर आ रही है; और | कई शिकायतों की जांच के पश्चात् यह पाया गया है कि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के संबंधी/मित्र उसे या तो सरकारी अस्पताल से जबरन छुट्टी करवा कर प्राइवेट अस्पताल ले गए या दुर्घटना का स्थल एन.सी.टी. दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था या दुर्घटना 15/02/2018 से पूर्व हुई है। |
| घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी दें? | अब तक जांच के पश्चात् दो शिकायत, जयपुर गोल्डन अस्पताल तथा आयुष्मान अस्पताल, वास्तविक पाई गई है। जयपुर गोल्डन अस्पताल को पीड़ित व्यक्ति एंव उसके परिवार द्वारा खर्च किए गए रकम को लौटाने का निर्देश दिया गया तथा उसने रकम लौटा दी। आयुष्मान अस्पताल को निर्देश देने की प्रक्रिया चल रही है। |

संजीव

(संजीव खिरवार)

सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR
SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi